

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चापिडल

सीमांकन वाद संख्या

23/2017-18

आदेश

सीमांकन कार्य हेतु आवेदक/आवेदिका..... परेय महता
पिता/पति स्व० मलीन्द्र महता ग्राम लानधा द्वारा आवेदन दिया
गया है। परन्तु आवेदक द्वारा लम्बे अन्तराल के बाद भी सीमांकन हेतु आवश्यक
दस्तावेज कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण सीमांकन कार्य निष्पादन
करना संभव नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस सीमांकन में आवेदक का
कोई अभिरुची नहीं है।

अतः वर्तमान सीमांकन वाद सं0 23/2017-18 को संचिकास्त
की जाती है। आवेदक चाहे तो पुनः सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते
हैं।

23/12/2017
अंचल अधिकारी
चापिडल